

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दिनांक 23-5-18 अठ्ठार छिया जाकर
बालक बच्चा व माँके पर गोरेक
विभाजन अठ्ठारकी अ व का के अठ्ठार
छिया असे। अठ्ठारकी अ व का इस
आदेश का भाग समझ के माना जावे।
माफिक आदेश दिई फर्का मुर्खि हो।
आदेशाचार चलना हेतु बहसीलदार
रोहट के इस आदेश मय अठ्ठारकी
अ व का की प्रतिलिपि सहित दिई
फर्का की प्रतिलिपि मिलवाई जावे।
बहसीर जारी हो। बाद चलना
पत्रावली फंसल शुमार हो।

Saf
उपखण्ड अधिकारी
रोहट